>

Title : Need to amend the Constitution with a view to grant reservation in employment under 'Most Backward Class' to include traditional workers engaged in cottage industries.

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): महोदय, भूमंडलीकरण के इस दौर में विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा तकनीकी के क्षेत्र में असाधारण प्रगति के कारण मानव जीवन प्रभावित हुआ है। स्वाधीनता पूर्व काल में हमारे देश का ग्रामीण जीवन स्वयं निर्भर था। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मुख्य घटक धोबी, कुम्हार, राजमिस्त्री (बेलदार), बढ़ई, लोहार, नाई, चमार, केवट, बुरूड़, सोनार अपना काम पारंपरिक तरीके से कर इसमें योगदान देते थे। कृषक व्यवस्था में यह पूरक व्यवसाय के कारण हमारे ग्रामों में व्यवसाय की कोई कमी नहीं रहने से ग्राम रोजगार आसानी से उपलब्ध थे। लेकिन स्वाधीनता के बाद हमने औद्योगिक क्रंति का नारा देकर शहरों को विकास का केन्द्र बनाया। कृषि पर अवलंबित यह सभी व्यवसाय प्रतिस्पर्धा में पिछड़ते चले गये। मिट्टी के बर्तनों की जगह स्टेनलेस स्टील के बर्तन, बड़े कारखानों, पावरलूम से कपड़ा, बड़े ब्रांडों के चप्पल, जूते कारखानों में बने लोहे के सामानों, ट्रैक्टर आदि उपभोक्ता चीजें ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से उपलबध होने के कारण पारंपरिक व्यवसाय जिसे महाराष्ट्र में बारा बलूतेदार कहा जाता है, धीरे-धीरे बंद पड़ गये। अपने पारंपरिक व्यवसाय लगभग खत्म होने के कारण इन व्यवसायियों पर बेरोजगारी का संकट साथ में आजीविका चलाने की समस्या निर्माण हुई है। गरीबी, अज्ञानता तथा सामाजिक उपेक्षा के कारण आज भी इन पारंपरिक व्यवसायियों की अवस्था दयनीय बनी हुई है। सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में विशेष ध्यान न देने के कारण यह समस्या अधिक विकराल रूप धारण कर इनमें असंतोष निर्माण हो रहा है। इन पारंपरिक व्यवसायियों के द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनः आधार बनाने तथा इसका सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक विकास कराने के लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। इसके लिए उन्हें संरक्षण प्रदान करने हेतु संविधान में संशोधन कर "अतिपिछड़े प्रवर्ग" का निर्माण कर उन्हें इसमें शामिल कर आरक्षण देने का प्रावधान करने हेतु सरकार कदम उठाए। अपने व्यवसाय खत्म होने के कारण अति पिछड़े पारंपरिक व्यवसायी (बलूतेदार) को उपरोक्त अनुसार सहायता देने हेतु सरकार कदम उठायेगी, ऐसी अपेक्षा करता हूं।